1

BA I , Paper 2
TOPIC – ब्रिटेन की विधायिका (UK's legislative)
Date – 18.05.2020
Book Reference – पुखराज जैन , बी० एल० फाड़िया

Seema Kumari
Assistant Professor
Political Science
Rohtas Mahila College , Sasaram

ब्रिटेन की विधायिका :-

ब्रिटिश संसद को विश्व की सभी संसदों की जननी कहा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस की भांति ब्रिटिश संसद के भी दो सदन हैं - 1. लार्ड सभा (House of Lords), 2. कामन सभा (House of Commons).
HOCs निम्न सदन है जबकि HOL उच्च सदन है जो कि एक वंशानुगत एवं विशाल सदन है। ब्रिटीश संसद सबसे प्राचीन कानून बनाने वाली सभा है उसी से आगे चलकर धीरे धीरे ब्रिटीश संसद का विकास हुआ है।

लार्ड सभा (HOL) – विश्व का सबसे विशाल उच्च सदन है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। जिन सदस्यों को आवश्यक समझा जाता है उन्हें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है। HOLs में विभिन्न वर्ग एवं समुदाय के सदस्य होते हैं। लार्ड सभा में जिन सदस्यों को शामिल

Scanned with CamScanner

शामिल किया जाता है उनका निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है :-

1. राजवंश से संबंधित 4 प्रिंस (जो बैठकों में भाग नहीं लेते)
2. 90% वंशागत सदस्य होते हैं जिनका कि सदन में बहुमत होता है।
3. 1707 ई० की यूनियन संधि के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि स्कॉटलैंड में 16 Peer लार्ड सभा में बैठेंगे और वे स्कॉटलैंड के पीयरों द्वारा चुने जाएंगे। वर्तमान समय में स्कॉटिश पियर्स की संख्या 31 सौ है वे प्रत्येक नई संसद के लिए 16 पीयर पांच वर्ष के लिए चुनते हैं।
4. HOLs में आध्यात्मिक लार्ड भी होते हैं जिनकी संख्या 26 है। इनमें एक कैंटरबरी का आर्क बिशप, एक मार्क का आर्क बिशप तथा 24 इंग्लैंड की चर्च के वरिष्ठ बिशप शामिल हैं।
5. सम्राट के द्वारा जीवन भर के लिए लार्ड सभा में कानूनी ~~लोडरों~~ लार्डों की ~~संख्या~~ नियुक्त किया जाता है जिनकी संख्या 9 है।
6. 1958 के आजीवन पियर्स एक्ट के अनुसार सार्वजनिक जीवन में अत्यंत प्रसिद्ध और अनुभवी व्यक्तियों को जीवन भर के लिए लार्ड सभा की सदस्यता दी जाती है क्योंकि बहुत से सदस्य पैतृक आधार पर सदस्यता नहीं लाना चाहते हैं।

अधिकार एवं शक्तियां (HOLs के सदस्यों की):-

1. लार्ड सभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। सदन में सरकार की कठोर आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
2. संसद के अधिवेशन काल में किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

3. सम्राट के पास जाकर सार्वजनिक मामलों पर अपने विचार व्यक्त करें।
4. पीयर बनाने वाले भी बिल HOLs में पेश होते हैं।
5. HOLs सर्वोच्च न्याय० के रूप में कार्य करती है।

HOLs का अध्यक्ष - जिन्हें लार्ड चांसलर कहा जाता है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है पर उसे शासन के किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। HOLs में अनुशासन बनाए रखना एंव कार्यवाहियों का संचालन लार्ड चांसलर का ही कार्य होता है। लेकिन वह वाद विवाद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह प्रिवि कांउसिल की न्याय समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है।

HOLs की शक्तियां - 1. विधायी शक्तियां - 1949 के बाद HOLs की विधायी शक्तियां सीमित कर दी गई है। किसी विधेयक को एक वर्ष के लिए रोक सकती है। धन विधेयक पर भी केवल 30 दिन ही रोक सकता है।
2. कार्यपालिका शक्तियां भी महत्वहीन है।
3. परामर्श संबंधी अधिकार HOCs की अपेक्षा अधिक है क्योंकि कहीं अधिक विशेषज्ञ विद्वान होते हैं।
4. न्यायिक अधिकार - HOLs ब्रिटेन के सर्वोच्च न्याया-लय के रूप में कार्य करता है। दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों में देश का उच्चतम अपीलीय न्या० है। केवल लार्ड चांसलर और विधि लार्ड ही सर्वोच्च न्या० के रूप में कार्य करते हैं।

Scanned with CamScanner